भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3067
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

लघु जल विद्युत उत्पादन को सहायता

3067. श्री शफी परम्बिलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्यों में लघु/अति लघु जल विद्युत उत्पादन (25 मेगावाट से कम क्षमता) के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु/अति लघु जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है और ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): जी, नहीं। वर्तमान में, लघु/अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट क्षमता से कम) के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई लघु जल विद्युत योजना नहीं है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत लघु/अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं के सापेक्ष में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'लघु जल विद्युत उत्पादन को सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3067 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत लघु/अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं के सापेक्ष में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों की सूची

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	8.00				2.48	10.48
2	अरुणाचल प्रदेश	5.66	0.82	1.83			8.31
3	छत्तीसगढ़	2.50					2.50
4	गुजरात		6.65	3.19	1.58		11.42
5	हरियाणा				0.70		0.70
6	हिमाचल प्रदेश	2.00		0.41	0.60		3.01
7	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	9.31	9.50	1.50			20.31
8	केरल		0.35	1.63	0.45	21.86	24.29
9	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र		6.00	8.80	6.57	3.54	24.91
10	महाराष्ट्र	5.00	3.00		1.00		9.00
11	मेघालय				0.47	2.00	2.47
12	मिजोरम	0.60	1.41		2.09	0.34	4.44
13	ओडिशा	4.75					4.75
14	सिक्किम			0.60			0.60
15	उत्तर प्रदेश	0.05					0.05
16	उत्तराखंड	2.91	0.28				3.19
	कुल	40.78	28.01	17.96	13.46	30.22	130.43

*****